

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन,

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0-462003

क्रमांक/एफ-4/41/2022/10-11/5159

भोपाल, दिनांक 7-10-24

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मंडल, अनूपपुर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1X660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 009/2022-बीएचओ/1/82654 दिनांक 23.09.2024

—0—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उक्त संदर्भित पत्र से 02 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आपसे संबंधी बिन्दु एवं आवेदक संस्थान से संबंधित बिन्दु की जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-4/41/2022/10-11/5160

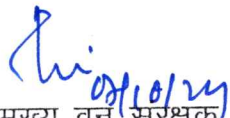
भोपाल, दिनांक 7-10-24

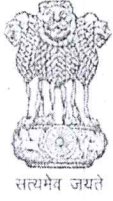
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश-484220

की ओर भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 009/2022-वीएचओ/7/82654

दिनांक : 23 /09/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: अनूपपुर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई में 1 X 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2 म.प्र. पावर जनरेंटिंग कम्पनी लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/THE/130772/2021) ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-4/41/2022/10-11/4032 दिनांक 31/07/2024.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/335 दिनांक 13/09/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 05/09/2024 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 13/09/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The User Agency shall submit Component wise breakup /Area statement along with clear layout plan depicting all components proposed to be constructed in the area proposed for diversion. If any part of the proposed components in falling in the areas occupied previously through approvals accorded in the year 1963, 1967 and 2006. then the area proposed for diversion shall include these areas as well (if area not diverted earlier).
2. The concerned DFO shall examine the areas which are previously approved in possession of the project proponent through orders/ approvals accorded in the years 1963, 1967 and 2006 and submit a detailed status report as to whether the previously approved areas attract provision of FCA, 1980 in view of prevailing rules and guidelines and also examine whether there is any violation of FCA, 1980 in the above or not.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

Signed by Yogesh Gairola

(डॉ. योगेश गैरोला)

Date: 23-09-2024 15:15:52

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।